न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 54/2016

प्रार्थी–

करनसिंह पुत्र भेरसिंह जाति राजपूत निवासी देदड़ियार तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. चौथाराम पुत्र मतुराम
2. छुगाराम पुत्र मतुराम जाति भील निवासी रेडाणा तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर
4. मोहनराम पुत्र नीम्बाराम जाति भील निवासी देवड़ों की बस्ती तहसील शिव जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन ग्राम देदड़ियार के खेत खसरा नम्बर 169/1 रकबा 09–19 बीघा, खसरा नम्बर 171/1 रकबा 12–16 बीघा जो विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव द्वारा दिनांक 21.05.1976 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की माता मकू बेवा मतु जाति भील निवासी रेडाणा के पक्ष में किया।

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मनोज पारिक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1व2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
4. श्री राजेश बिश्नोई अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19.02.2020

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि सीलिंग भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 21.05.1976

जिला कलक्टर

बमुकाम हरसाणी में कृषि भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 1व2 की माता मकू बेवा मतु भील साकिन रेडाणा के नाम ग्राम देदड़ियार के खसरा नम्बर 169/1 रकबा 09–14 बीघा एवं ग्राम रेडाणा के खसरा नम्बर 171/1 की रकबा 12–16 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 14.09.2016 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी तहसीलदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा गलती से आदेश दिनांक 16.07.1971 के द्वारा सिलींग में अधिग्रहित कर ली गई थी, किन्तु पुनः आदेश दिनांक 22.10.1971 के माफिक उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर ली गई थी। प्रार्थी ने सीलिंग प्रकरण संख्या 348/70 सरकार बनाम गोविन्दसिंह, करणसिंह वगैरह में उजरदारी पेश की तब अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सीलिंग) बाड़मेर ने आदेश दिनांक 27.06.1978 के द्वारा उक्त गलती को सुधार करते हुए उक्त खसरों की भूमि प्रार्थी को वापस कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दिया। इस आदेश की पालना हेतु अप्रार्थी सं. 3 व उनके प्रतिनिधियों का दायित्व था किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण भूलवश अप्रार्थी सं. 1 व 2 की माता मकू बेवा मतु के नाम आवंटन कर दी गई। उक्त आवंटन केवल कागजों में ही हुआ हैं जबकि मौके पर कब्जा व आधिपत्य आज भी प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का ही है। यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि केवल जमाबन्दी में नाम होने मात्र से किसी के हक अधिकार तय नहीं हो जाते हैं तथा प्रार्थी को विवादित भूमि सीलिग अधिग्रहण से मुक्त कर वापस कब्जा सुपुर्द कर दिया था ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सीलिंग) बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.06.1978 की पालना करवाने के लिये उपखण्ड अधिकारी शिव के न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया जो इस निश्चय के साथ खारिज कर दिया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त करने के उपरांत ही आवेदन की सुनवाई की जावेगी। इस पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं जो स्वीकार कर आलौच्य आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की माता के पक्ष में सीलिंग भूमि आवंटन के तहत परामर्शदात्री समिति द्वारा बमुकाम हरसाणी में आयोजित केम्प में विवादित सीलिंग सरप्लस भूमि का आवंटन किया गया हैं तथा वक्त आवंटन अप्रार्थी सं. 1व2 की माता भूमिहीन अनुसूचित जनजाति की महिला काश्तकार थी। प्रार्थी ने इस आवेदन पत्र में वक्त आवंटन अथवा उसके पश्चात आवंटी की पात्रता एवं आवंटन की शर्त भंग की कोई उज्र प्रकट नहीं की हैं ऐसे में नियम 14(4) के प्रावधान इस प्रकरण में प्रयोज्य नही होते हैं। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

6. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में नियम 14(4) के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु यह विवेच्य हैं कि आया आवंटी मकू बेवा मतु द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, अथवा आवंटन के पश्चात आवंटन की निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की हैं ? इस संबंध में प्रार्थी के अधिवक्ता का केवल यह कथन हैं कि प्रार्थी की जो विवादित भूमि सीलिंग अधिनियम

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के तहत अधिग्रहित की गई थी वह भूलवश की गई थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सीलिंग) बाड़मेर ने आदेश दिनांक 27.06.1978 के द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया था, इसलिये आलौच्य आवंटन निरस्त किया जावें। इस प्रकार प्रार्थी स्वंय के कथनानुसार वक्त आवंटन दिनांक 21.05.1976 को उक्त भूमि सिलींग अधिनियम के तहत अधिग्रहित होकर राज्य सरकार के हक में दर्ज थी जिसे भूमिहीन काश्तकार को आवंटित की गई हैं। ऐसे में प्रथम बिन्दु का निश्चय यह हैं कि वक्त आवंटन प्रार्थी की न तो खातेदारी में थी और न ही आवंटन गलत या कपट द्वारा कराया गया था। इसके पश्चात जहां तक दिनांक 27.06.1978 के आदेश द्वारा सीलिंग से मुक्त करने का प्रश्न हैं तो इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थी द्वारा इजराय आवेदन पत्र संख्या 01/2005 इतनी लम्बी समयावधि के बाद प्रस्तुत करने का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया हैं जबकि किसी भी नियमित कार्यवाही में हक–अधिकारों से सम्बन्धित पारित आदेश/डिक्री के क्रियान्वयन हेतु मयाद अवधि निर्धारित की गई है। इसके उपरांत भी प्रार्थी यदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सीलिंग) बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.06.1978 के आधार पर विवादित भूमि अपनी खातेदारी में पुनः बहाल कराना चाहता हैं तो इसके लिये सक्षम न्यायालय ही इजराय आवेदन में निश्चय कर सकता हैं। इस न्यायालय के समक्ष नियम 14(4) में निर्धारण योग्य बिन्दु के अन्तर्गत आलौच्य आवंटन को निरस्त करने का कोई विधिक आधार साबित नहीं होता हैं। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा इजराय प्रकरण में पारित आदेश से यह न्यायालय कतई सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि आदेश दिनांक 27.06.1978 के विरूद्ध किसी उच्चतर न्यायालय में अपील अथवा अन्य चाराजोही प्रस्तुत नहीं होकर अंतिम हो गया हैं तो फिर उसके क्रियान्वयन का आदेश मयाद अवधि को मद्देनजर रखते हए इजराय में ही दिया जा सकता है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की माता के पक्ष में हुए आवंटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नही हैं। लिहाजा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर